राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 629/2022

महाराज सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.03.2022

आदेश की दिनांक : 18.12.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री धीरज गुप्ता, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री विकास श्रीवास्तव, ओआईसी

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को परिनिंदा के दण्ड के आधार पर सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर उसे रिक्ति वर्ष 2016–17 के बजाय रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया था। परंतु उसे रिक्ति वर्ष 2017–18 के बजाय रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जावे और जिस आदेश दिनांक 16.09.2016 के द्वारा

कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति दी गई है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति के समस्त लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर नगरीय विकास एवं आवासन विभाग शासन सचिवालय, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 02.04.2002 के द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अंतर्गत शासन सचिवालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुई थी और आदेश दिनांक 04.11.2010 के द्वारा नियम 28 के अंतर्गत कनिष्ठ लिपिकों को कार्यभार संभालने की तिथि से 6 माह तक अथवा डीपीसी द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने तक, जो भी शीघ्रतर हो तक के लिये पूर्णतः अस्थायी रूप से ग्रेड पे 2400 में पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 29 पर एवं श्री शेर सिंह का नाम क्रम संख्या 30 पर अंकित है। डीपीसी की अनुशंषा के आधार पर एलडीसी से यूडीसी के पद पर वर्ष 2001—02 से 2012—13 तक के लिये पूर्व में आयोजित डीपीसी की अभिशंषा का पुनरावलोकन किये जाने पर एलडीसी से यूडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया। उक्त पदोन्नति आदेश में अपीलार्थी का नाम वर्ष 2012—13 की रिक्तियों के विरूद्ध क्रम संख्या 5 पर अंकित है और कनिष्ठ कार्मिक श्री शेर सिंह का नाम क्रम संख्या 6 पर अंकित है। आदेश दिनांक 07.09.2016 के द्वारा दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 18 पर अंकित है और उससे कनिष्ठ कार्मिक का नाम क्रमांक 19 पर अंकित है। अपीलार्थी को 25.02.2015 के द्वारा परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया। आदेश दिनांक 16.09.2016 के द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ श्री शेर सिंह को रिक्ति वर्ष 2016—17 के विरूद्ध सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया और अपीलार्थी को वंचित रखा गया। उनका कथन है कि परिनिंदा का दण्ड लघु दण्ड की परिभाषा में आता है और सीसीए नियम 17 के अंतर्गत उक्त दण्ड दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि लघु दण्ड के आधार पर व परिनिंदा दण्ड के आधार पर

कर्मचारी को वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर पदोन्नति से ऐसे मामले में वंचित नहीं किया जा सकता। परंतु अपीलार्थी को परिनिंदा के दण्ड के आधार पर पदोन्नति से वंचित रखा गया है और एक वर्ष पश्चात् रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध अपीलार्थी को आदेश दिनांक 09.06.2020 के द्वारा सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 20358 ⁄ 2018 रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"44. So considering the provisions of Rules and the law laid down in various judgments, as referred above, this Court can safely held that the Circular dated 04.06.2008 issued by the Department of Personnel to the extent of depriving the Government servants from consideration for promotion in case of criteria for promotion being Seniority-Cum-Merit on account of penalty of 'Censure' or withholding increments, is not sustainable and deserves to be set aside.*
>
> *45. Accordingly, the present writ petition is allowed. The order of penalty dated 30.05.2013, passed by the Deputy Commissioner of Police, Jaipur, the order dated 27.12.2013 passed by the Commissioner of Police, Jaipur and also the order dated 26.10.2015 passed by the Joint Secretary Government of Rajasthan (Appeal) and so also the Circular dated 04.06.2008 issued by the Department of Personnel to the extent as observed in above paras, are quashed and set aside. The petitioner shall be entitled for all consequential benefits which accrue to him as if no such order of penalty was ever passed against him.*
>
> *46. The exercise for promotion or review so as to extend the consequential benefits to the petitioner, be completed by the respondents within a period of three months from today."*

इसी प्रकार अधिकरण द्वारा भी अपील संख्या 2153 ⁄ 2004 विजय कृष्ण व्यास बनाम आयुक्त, आबकारी विभाग व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5715 ⁄ 1997 हरभजन मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2010 जिसमें याची के याचिका को स्वीकार कर हकदार माना है। इसी प्रकार

अपीलार्थी भी उपरोक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत से वंचित रखा गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को परिनिंदा के दण्ड के आधार पर सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर उसे रिक्ति वर्ष 2016–17 के बजाय रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया था। परंतु उसे रिक्ति वर्ष 2017–18 के बजाय रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जावे और जिस आदेश दिनांक 16.09.2016 के द्वारा कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति दी गई है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति के समस्त लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओआईसी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि राजकीय सेवा में नियमित पदोन्नति और आवश्यक अस्थाई रूप से पदोन्नति के संबंध में कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 16.3 में पदोन्नति के प्रकरणों में राजसेवकों को दिए गए दण्ड के प्रभाव उल्लेखित है जिसके अनुसार परिनिन्दा के दण्ड हेतु एक बार पदोन्नति से वंचित किया जायेगा। परिनिंदा के दण्ड के प्रभाव के कारण अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति में चयन हेतु पात्र नहीं माना गया और परिनिंदा के दण्ड से दण्डित होने के कारण उसे वर्ष 2016–17 में पदोन्नति से वंचित रखा गया, जो नियमानुसार सही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर नगरीय विकास एवं आवासन विभाग शासन सचिवालय, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी की

प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 02.04.2002 के द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अंतर्गत शासन सचिवालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुई थी। डीपीसी की अनुशंषा के आधार पर एलडीसी से यूडीसी के पद पर वर्ष 2001–02 से 2012–13 तक के लिये पूर्व में आयोजित डीपीसी की अभिशंषा का पुनरावलोकन किये जाने पर एलडीसी से यूडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया। उक्त पदोन्नति आदेश में अपीलार्थी का नाम वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध क्रम संख्या 5 पर अंकित है और कनिष्ठ कार्मिक श्री शेर सिंह का नाम क्रम संख्या 6 पर अंकित है। आदेश दिनांक 07.09.2016 के द्वारा दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 18 पर अंकित है और उससे कनिष्ठ कार्मिक का नाम क्रमांक 19 पर अंकित है। अपीलार्थी को 25.02.2015 के द्वारा परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया। आदेश दिनांक 16.09.2016 के द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ श्री शेर सिंह को रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया जबकि अपीलार्थी को वंचित रखा गया। जहां तक अपीलार्थी को परिनिंदा के दण्ड से दण्डित होने के आधार पर रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति से वंचित किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 25.02.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सीसीए नियम 17 के तहत परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया है और इस प्रकार हमारे मत में सीसीए नियम 17 के अंतर्गत उक्त दण्ड लघु दण्ड की परिभाषा में आता है। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि लघु दण्ड के आधार पर व परिनिंदा दण्ड के आधार पर कर्मचारी को वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर पदोन्नति से ऐसे मामले में वंचित नहीं किया जा सकता। परंतु अपीलार्थी को परिनिंदा के दण्ड के आधार पर पदोन्नति से वंचित रखा गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 20358/2018 रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"44. So considering the provisions of Rules and the law laid down in various judgments, as referred above, this Court can safely*

held that the Circular dated 04.06.2008 issued by the Department of Personnel to the extent of depriving the Government servants from consideration for promotion in case of criteria for promotion being Seniority-Cum-Merit on account of penalty of 'Censure' or withholding increments, is not sustainable and deserves to be set aside.

45. Accordingly, the present writ petition is allowed. The order of penalty dated 30.05.2013, passed by the Deputy Commissioner of Police, Jaipur, the order dated 27.12.2013 passed by the Commissioner of Police, Jaipur and also the order dated 26.10.2015 passed by the Joint Secretary Government of Rajasthan (Appeal) and so also the Circular dated 04.06.2008 issued by the Department of Personnel to the extent as observed in above paras, are quashed and set aside. The petitioner shall be entitled for all consequential benefits which accrue to him as if no such order of penalty was ever passed against him.

46. The exercise for promotion or review so as to extend the consequential benefits to the petitioner, be completed by the respondents within a period of three months from today."

इसी प्रकार अधिकरण द्वारा भी अपील संख्या 2153/2004 विजय कृष्ण व्यास बनाम आयुक्त, आबकारी विभाग व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5715/1997 हरभजन मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02.2010 जिसमें *''सेवा विधि–प्रोनति–याची के विरूद्ध संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धियों को रोक की शास्ति अधिरोपित की गई–उक्त शास्ती के पश्चात् परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित–याची के विरूद्ध अन्य कोई टिप्पणी नहीं–सेवाभिलेख के अच्छा न होने का कोई अभिकथन नहीं–प्रोनति का मानदंड ज्येष्ठता सहयोग्यता होने से चेतावनी की शास्ति पर प्रोनति का विचारित रखा जाना न्यायोचित नहीं–केवल न्यूनतम योग्यता ही आवश्यक है–1995–96 की रिक्तियों के लिये याची को हकदार माना गया''* और इस प्रकार उक्त मामले में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

"In view of what has been discussed above, action of the Respondents/DPC in judging the petitioner not suitable for promotion soiely on the ground that he was awarded penalty of censure, despite

criteria of promotion being seniority-cum-merit, cannot be said to be legal and justified because for considering the case for promotion on the criteria of seniority-cum-merit for promotion, what is to be seen is the minimum necessary merit requisite for efficiency of administration and the senior even though less meritorlous, shall have primacy in the matter of promotion and comparative assessment of merit is not required to be made.

In the result, this writ petition deserves to be partly allowed and it is accordingly partly allowed. The petitioner is held entitled to promotion against the vacancy of the year 1995-96, if this juniors were promoted on the criteria of seniority-cum-merit from such date. The petitioner shall also be entitled to get all the consequential benefits with interest at the rate of 6% per annum."

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाती है तथा उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016—17 के विरूद्ध सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति का लाभ दिया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी उक्त पद पर रिक्ति वर्ष 2016—17 के विरूद्ध यदि अपीलार्थी योग्य पाया जाता है तो उसे भी पदोन्नति एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य